[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12 . 12 . 2015

NOTIFICATION

- G.S.R. (E). In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules), -
 - (i) in rule 9,-
 - (a) in sub-rule (1), -
 - (A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) An application for registration, or an application for obtaining prior permission by a person under section 11, for acceptance of foreign contribution, shall be made electronically online in Form FC-3.
 - (B) for clauses (b) and (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(b) The applicant shall upload the signed or digitally signed application along with scanned documents as specified by the Central Government from time to time":
 - (C) in clause (e), for the words "on plain paper", the words "electronically online in form FC-6" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), -
 - (A) clauses (a), (b) and (c) shall be omitted;
 - (B) in clause (e), for the words "on plain paper", the words "electronically online in Form FC-6" shall be substituted;

(c) in sub-rule(4), in clause(d), the following words shall be inserted at the end, namely:-

"or through online electronic payment gateway as specified by the Central Government";

- (ii) in rule 12, -
 - (a) in sub-rule (2), for the letters and figure "FC-5", the letters and figure "FC-3" shall be substituted:
 - (b) sub-rule (3) shall be omitted;
 - (c) in sub-rule (5), the following words shall be inserted in the end, namely:"or through online electronic payment gateway as specified by the Central Government";
- (iii) for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Declaration of receipt of foreign contribution.-

- (a) A person who has been granted a certificate of registration or prior permission shall place the audited statement of accounts on receipts and utilisation of the foreign contribution, including income and expenditure statement, receipt and payment account and balance sheet for every financial year beginning on the first day of April within nine months of the closure of the financial year on its official website or on the website as specified by the Central Government
- (b) A person receiving foreign contribution in a quarter of the financial year shall place details of foreign contribution received on its official website or on the website as specified by the Central Government within fifteen days following the last day of the quarter in which it has been received clearly indicating the details of donors, amount received and date of receipt."
- (iv) for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

"16. Reporting by banks of receipt of foreign contribution.-

The bank shall report to the Central Government within forty-eight hours any transaction in respect of receipt or utilisation of any foreign contribution by any person whether or not such person is registered or granted prior permission under the Act.";

- (v) in rule 17, -
- (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(1) Every person who receives foreign contribution under the Act, shall submit a signed or digitally signed report electronically online in Form FC-4 with scanned copies of income and expenditure statement, receipt and payment account and balance sheet for every

financial year beginning on the 1st day of April within nine months of the closure of the financial year.";

- (b) in sub-rule (2), for the letters and figure "FC-6", the letters and figure "FC-4" shall be substituted;
- (c) in sub-rule (3), for the letters and figure "FC-7", the letters and figure "FC-1" shall be substituted;
- (d) in sub-rule (4), for the letters and figure "FC-8", the letters and figure "FC-1" shall be substituted;
- (e) in sub-rule (6), for the letters and figure "FC-7", the letters and figure "FC-4" shall be substituted;
- (f) in sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely:"Provided that where foreign contribution has not been received or utilised during a financial year, it shall not be required to enclose certificate from Chartered Accountant or income and expenditure statement or receipt and payment account or balance sheet with Form FC-4.";
- (vi) after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:-

"17A. Change of designated bank account, name, address, aims, objectives or Key members of the association.-

A person who has been granted a certificate of registration or prior permission under section 11 of the Act shall intimate electronically online in Form FC-6, within fifteen days, of any change in the following, namely:-

- (i) name of the association or its address within the State for which registration/ prior permission has been granted under the Act;
- (ii) its nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities,;
- (iii) bank and/or branch of the bank and/or designated foreign contribution account number; and
- (iv) key members of the association if at any point of time such change causes replacement of fifty percent or more of the original key members as reported in the application for grant of registration/ prior permission/ renewal of registration under the Act.";
- (vii) in rule 18, for the letters and figure "FC-9", the letters and figure "FC-1" shall be substituted;
- (viii) in rule 24,-
- (a) in sub-rule(1), for the letters and figure "FC-10", the letters and figure "FC-5" shall be substituted;
- (b) in sub-rule (4), for the letters and figure "FC-6", the letters and figure "FC-4" shall be substituted;

(ix) for Forms FC-1 to FC-10, the following Forms shall be substituted, namely:-

"FORM FC-1 [See rule 6, 17 and 18]

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division (FCRA Wing) NDCC-II Building, Jai Singh Road New Delhi – 110001.

Subject: Intimation to the Central Government of receipt of foreign contribution by way of gift from relative by an individual / Foreign Contribution in the form of Articles/ Securities/ by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir.

Receipt of foreign contribution by way of gift from relative	Yes/ No
Foreign Contribution (Articles) Account	Yes/No
Foreign Contribution (Securities) Account	Yes/No
Receipt of foreign contribution by a candidate for Election	Yes/No

Part A

(To be filled by applicant giving intimation of receipt of foreign contribution by way of gift from relative)

- 1. Name of the recipient in full (in block letters):
- 2. Date of birth:
- 3. Name of Father/Spouse:
- 4. Contact details of the recipient
 - (a) Address:
 - (b) Telephone and mobile number with STD code
 - (c) e-mail address
- 5. Permanent Account Number (PAN) of the recipient in India:
- 6. Amount of foreign contribution received, if it exceeds Rs. 1 lakh or equivalent in a financial year:
- 7. Number of the Bank Draft or telegraphic transfer or other communication including the Bank Details:
- 8. Details of the relative:
 - (a) Name:
 - (b) Nationality
 - (c) Country of residence
 - (d) e-mail address
 - (e) Passport Number
 - (f) Relationship with the recipient

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant (Name, *in block letters*)

Part B

(To be filled by applicant giving intimation about Foreign Contribution (Articles) Account/ Foreign Contribution (Securities) Account)

- 1. Details of the applicant:
 - (i) Name in full:
 - (ii) Contact Details:
 - (a) Address
 - (b) Official Telephone No.(with STD code):
 - (c) Official e-Mail address
 - (iii) FCRA Registration/Prior Permission number and date, if any
 - (iv) PAN (Permanent Account Number) of the Association:

2. Details of articles:

Date	Name of	Description	Name and	Purpose	Quantity	Approximate	Mode of
	article (s)		address of the			value (Rs.)	Utilisation/Disposal
			person from				(if disposed to
			whom				whom)
			received				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

3. Details of securities

Date	Nature of	Name and	Nominal Value	Market value	Reserve Bank of	Mode of
	security	address of	(Rs.)	(Rs.)	India permission	Utilisation/
	received	the person			details	Disposal (if
		from whom				disposed to
		received				whom)
						*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the Applicant (Name of the applicant *in block letters*)

Official Seal

Part C

(To be filled for giving intimation to the Central Government of Receipt of Foreign Contribution received by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010))

- 1. Name in full:
- 2. Date of birth:
- 3. Name of father/spouse:
- 4. Contact details
 - (a) Address:
 - (b) e-mail address
 - (c) telephone and mobile number (with STD code)
- 5. Date on which duly nominated as a candidate for election to a Legislature and particulars of Legislature: (See section 21 of the Act)
- 6. Details of foreign contribution received within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which duly nominated as a candidate for election

Foreign	Value	Purpose	Donor name,	Individual Donor	Relationsh	Utilisati
contribution	(Rs.)		address and e-mail	nationality	ip with	on
received as			address		donor	details
cash / article						
/ securities						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the candidate (Name, *in block letters*)

FORM FC-2 [See rule 7(1)]

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

NDCC-II Building, Jai Singh Road

New Delhi - 110001

Subject: Application for seeking prior permission of the Central Government to accept foreign hospitality.

[Note: For foreign hospitality availed in case of emergent medical aid situation, intimation to be given on plain paper to the Secretary, Ministry of Home Affairs at the address mentioned in FORM FC-2, within sixty days of such receipt of foreign hospitality.]

- 1. Name in full:
- 2. Date of Birth:
- 3. Name of father/husband:
- 4. Contact details:
 - (a) Address:
 - (b) Telephone and mobile number with STD code:
 - (c) e-mail address
- 5. Passport particulars (if already in possession):
- 6. Status: (a) Member of Legislature (b) Office bearer of a political party (c) Judge of Supreme Court/High Court (d) Government servant (e) Employee of a Corporation or any other Body owned or controlled by Govt

7. Details of hospitality proposed to be availed

V 1 1								
Names of	Duration	Purpose	Nature	of	Duration	Approximate	Remarks	
cities/countries	of stay	of visit	hospital	ity to	of	expenditure		
for which	From/To		be acce	pted	hospitality	to be		
hospitality is			In	In	to be	incurred on		
to be accepted			Cash	kind	accepted	hospitality		
						(Rs.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

8. Particulars of host(s): -

Nature of	Full	Nationality	Profession	Address	e-mail	Fixed line
Host –	Name	/ Passport			address	telephone
individual /		Number				Number (with
organisation						code);
						Mobile Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 9. Nature of connection/relationship with the host and/or foreign source extending the hospitality:
- 10. Letter from the host regarding the details of hospitality to be extended and Recommendation Letter from the organisation to which the applicant belongs are to be enclosed.

DECLARATION

I hereby declare that the above	particulars	furnished	by me	are true	and	correct
---------------------------------	-------------	-----------	-------	----------	-----	---------

P.	ace:
D	ate:

Signature of the applicant (Name, *in block letters*)

FORM FC - 3 [See rule 9 (1) (a) / rule 12]

No		. , ()
No		Date
The Secretary to the C		of India,
Ministry of Home Aff	airs,	
Foreigners Division (FCRA Win	g)
NDCC-II Building,		<u>.</u>
Jai Singh Road		
New Delhi – 110001		
α (2) / section 16 of t	he Foreign by an Ass	ration'/ 'prior permisssion'/ 'renewal' under section 11 (1) Contribution (Regulation) Act, 2010 for the acceptance of ociation having definite cultural, economic, educational,
I I		
Hindu Undivided Fam	ily / assoc	iation / company registered under Companies Act 1956 /
Companies Act 2013	furnish th	following details and the School Companies Act 1956 /
Government for the ac	centance of	the following details and apply for approval of the Central
11/ Section 16 of the A	ct for	f foreign contribution under sub-section (1) / (2) of section
(a) registration	Yes/No	
(b) prior permission	Yes/No	
(c) Renewal	Yes/No	

- 1. Details of the applicant/Association:
- (a) Name in full:
- (b) Address:
- Telephone No. of the Association (with STD code): (c)

Yes/No

- (d) e-mail address of the association
- (e) official Website address, if any:
- Telephone and mobile (with STD code) of the Chief Functionary (f)
- 2. Details of registration:
- Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, (a) Companies Act, 1956 / Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
- (b) Number, date and place of Registration: (self-certified copy of the registration certificate to be enclosed):
- PAN (Permanent Account Number) of the Association: (c)
- FCRA Regn no. and date (in case of renewal) copy of certificate to be enclosed: (d)
- 3. Nature of Association:
 - (a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.
- 4. Main aim(s) and object(s) of the Association (enclose self-certified copy of relevant pages of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, showing aims and objects of association):
- (a) Details of the key functionaries of the Association: 5.

Name	Name	Nationality	Aadhaar	Occupation	Designation	Relationship	Contact Details:
	of		Number,		in the	with other	Office Address;
	father/s		if any		Association	Member(s) of	Residential
	pouse					the Executive	Address; e-mail
		d				Council /	address;;
						Governing	Landline no.;
						body / Office	mobile no.
						bearers	,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof

Name	Date and	Passport	Address in	Whether a	PIO/OCI	If resident in
	Place of	number	the foreign	person of	Card	India, date
	birth		country	Indian	Number,	from which
				origin	if any	residing in
						India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 6. Amount of fee paid (Rs.):
- 7. Whether any current Key functionary of the Association has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:
- (a) been convicted by any court of law:
- (b) under prosecution for any offence pending against him/her:
- (c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:
- (d) has been prohibited from accepting foreign contribution:
- (e) is a current Key functionary of any other association:
- (f) is a current Key functionary of any other association against whom an order under section 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

Note: If any of the replies to (a) to (f) above is "yes", then full details of the case must be given

- 8. Whether the applicant Association:
- (a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organization and registration number/prior permission number and date:
- (b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under section 11(3) of the Act:
- (c) has been directed in terms of section 9 (d) of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)/ Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:

9. (a) Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution:

Name of the Bank Branch Address (with PIN code)		IFSC Code	Account No	
(1)	(2)	(3)	(4)	

9. (b) Details of all utilization bank accounts for utilization of Foreign Contribution (To be filled by applicant applying for renewal of registration):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

- 10. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:
 - (b) Date of submission of yearly accounts thereof:
 - (ii) Whether:
 - (a) the Association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars
 - (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
 - (c) Association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof

11. Whether:

- (i) the Association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof,
- (ii) the Association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof
- (iii) the Association has close links with any another Association(s), or its unit(s) or branches, which has been,
 - (a) refused registration / prior permission:
 - (b) prohibited from accepting foreign contribution:
 - (c) suspended or whose registration has been cancelled:
 - (d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars
- 12. Details of commitment of foreign contribution from donor. (applicable to prior permission cases only):

Nature of the	Value	Name of the project/ Activity; address of	Purpose
foreign	(including	implementation with brief details of the	(Cultural/
contribution	name of	project and budget break-up	economic/
	currency)		educational/
			religious/ social)
(1)	(2)	(3)	(4)

(A copy of the latest and duly signed commitment letter from the donor to be enclosed)

13. Details of foreign source(s) from which the foreign contribution is proposed to be received (applicable to prior permission cases only):

Name of foreign	Office Address;	In case of individual donor		nor
source	official e-mail address			
(1)	(2)		(3)	
		Name of father/	Nationality	Occupation
		spouse	and Passport	
			no.	

Yours faithfully,

Signature of the Chief Functionary [Name of the Chief Functionary *in block letters*] (Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

(a) I hereby declare that the information furnished above is true and correct;

And I undertake:

(b) that the receipt of foreign contribution and its utilization shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) / rules, notifications / orders issued there under from time to time;

P	ace:
D	ate:

Signature of the Chief Functionary [Name of the Chief Functionary *in block letters*] (Seal of the Organisation/Association)

Note: Applicant seeking registration are also to enclose audited statement of accounts and activity report of the association for the last three years.

FORM FC - 4 [See rule 17]

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

NDCC-II Building, Jai Singh Road

New Delhi - 110001

Subject: Account of Foreign Contribution for the year ending on the 31st March

- 1. FCRA registration/ prior permission number and date:
- 2. Details of receipt and utilisation of foreign contribution:
- (i) Foreign Contribution received in cash/kind (value)

()		
	(a) Brought forward foreign contribution at the beginning of the year (Rs.)	
	(b) Interest or other receipt during the year*	
	(c) Foreign Contribution received during the financial year	
	(i) Directly from a foreign source	
	(ii) as transfer from a local source	

- (d) Total Foreign Contribution (a+b+c) (Rs.)
- * i.e. interest accrued on foreign contribution, or any other income derived from foreign contribution, e.g. sale proceeds from assets created from foreign contribution, or interest thereon during the year
- (ii) (a) Donor wise detail of foreign contribution received in excess of Rupees 20,000:

Sl.	Name	Institutional	Details of the donor:	Purpose(s) for	Amount (Rs.)
No.	of	/ Individual	official Address; ; e-mail	which received	***
_	donor(s)		address; Website address;		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (b) Cumulative purpose-wise amount of all foreign contribution donations received:
- (iii) Details of utilization of foreign contribution:

(a) Total Utilisation** for projects as per aims and objectives of the association	
(Rs.)	
(b) Total Administrative Expenses as provided in Rule 5, FCRR 2011 (Rs.)	
(c) Total invested in term deposits (Rs.)	
(d) Total purchase of fresh assets (Rs.)	
(e) Total utilization in the year (Rs.) (a+b+c+d)	

** It is affirmed that the utilisation of foreign contribution is not in contravention of the provisions contained in FCRA, 2010 and more particularly in Section 9 and Section 12 of the Act which, interalia, states that the acceptance of foreign contribution is not likely to affect prejudicially

- (A) the sovereignty and integrity of India; or
- (B) the security, strategic, scientific or economic interest of the State; or
- (C) the public interest; or
- (D) freedom or fairness of election to any legislature; or
- (E) friendly relations with any foreign State; or
- (F) harmony between religious, racial, social, linguistic or regional groups, castes or communities
- (iv) Balance of unutilized foreign contribution, in cash/bank, at the end of the year(Rs):
- (v) Total number of foreigners working (salaried/ in honorary capacity):
- 3 (a) Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution (As on 31st March of the year ending):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

(b) Details of all utilization bank accounts for utilization of Foreign Contribution (As on 31st March of the year ending):

Name of the Bank	Branch Address	IFSC Code	Account No	
	(with PIN code)			
(1)	(2)	(3)	(4)	

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

I also affirm that the receipt of foreign contribution and its utilization have not been violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, rules, notifications/ orders issued there under from time to time and the foreign contribution was utilized for the purpose(s) for which the association was granted registration/ prior permission by the Central Government

utilized for the purpose(s) for which the association was granted registration/prior permission
by the Central Government
Place:
Date:
Signature of the Chief Functionary
(Name of the Chief Functionary in block letters)
(Seal of the Association)
Certificate to be given by Chartered Accountant
I/We have audited the account of (name of
Association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration) for the financial year ending the 31st
March and examined all relevant books and vouchers and certify that
according to the audited account:
(i) the brought forward foreign contribution at the beginning of the financial year was
Rs;
(ii) foreign contribution of / worth Rs was received by the Association during the financial year;
(iii) interest accrued on foreign contribution and other income derived from foreign
contribution or interest thereon of/worth Rs was received by the Association
during the financial year;
(iv) the balance of unutilised foreign contribution with the Association at the end of the
financial year was Rs;
(v) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and
ecords relating thereto in the manner specified in section 19 of the Foreign Contribution
(Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with rule 17 of the Foreign Contribution
Regulation) Rules, 2011.
(vi) The information in this certificate and in the enclosed Balance Sheet and statement of
Receipt and Payment is correct as checked by me/us.
(vii) The association has utilized the foreign contribution received for the purpose(s) it is
registered/ granted prior permission under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010
Place:
Date:

Signature of Chartered Accountant

(Seal, Address and Registration number)

FORM FC - 5 [See rule 24 (1)]

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division (FCRA Wing) NDCC-II Building, Jai Singh Road (Opposite Jantar Mantar) New Delhi – 110001

Subject: Application for seeking permission for transfer of foreign contribution to other unregistered persons.

Sir,	
Ι	, on behalf of the association
apply for seel	king permission of the Central Government under the proviso to section 7 of
Foreign Contr	ibution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for transfer of foreign contribution
to other un-reg	gistered persons, as per details given below.

- 1. FCRA registration/ prior permission Number and date of the applicant/ transferor association:
- 2. Details of the recipient /transferee association:
 - (i) Name in full:
 - (ii) Contact Details
 - (a) Address:
 - (b) Official Telephone No. of the Association (with STD code):
 - (c) Official e-Mail address:
 - (d) Telephone and mobile number of the Chief Functionary (with STD code):
 - (iii) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
- 3. Details of registration of recipient /transferee association:
 - (a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956/ Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
 - (b) Registration number, date and place of registration: (self-certified copy of the registration certificate to be enclosed)
- 4. Amount of Foreign contribution to be transferred:
- 5. Purpose for the proposed transfer of foreign contribution
- 6. Bank details and exclusive FCRA designated account number opened by the recipient, in which FC is proposed to be transferred:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

I hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Signature of the Chief Functionary [Name of the Chief Functionary *in block letters*] (Seal of the Association)

Note:

- (i) Every application shall be accompanied by a declaration from the transferor Association to the effect that—
 - (a) the amount proposed to be transferred during the financial year is less than ten per cent of the total value of the foreign contribution received by him during the financial year;
 - (b) the transferor shall not transfer any amount of foreign contribution until the Central Government approves such transfer.
- (ii) Both the transferor and the recipient shall be responsible for ensuring proper utilisation of the foreign contribution so transferred and such transfer of foreign contribution shall be reflected in the returns in Form FC-4 to be submitted by both the transferor and the recipient.

FORM FC-6 [See rule 9 and 17A]

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division (FCRA Wing) NDCC-II Building, Jai Singh Road New Delhi – 110001

Subject: Intimation under Rule 9 and Rule 17 A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2010 (42 of 2010) to the Central Government regarding Change of designated bank account, Utilisation Account, name/address/aims/objectives/ Key members in respect of the association granted registration/ prior permission under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010:

Sir,
I, as an individual/ association/ company hereby submit
the following intimation as required under Rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation)
Rules, 2011:

Change of name and/ or aims and objects of the association

Yes/No

Change of address within the State for which registration/ prior permission	Yes/No
granted under the above Act	
Change of designated bank/ branch/ bank account number for receipt and	Yes/No
utilization of foreign contribution	100 POSPERS 100 BOARD
Opening of Utilisation Bank Account for the purpose of utilization of foreign	Yes/ No
contribution	
Change in more than 50% Key members of the association	Yes/ No

- 1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
- 2. Official telephone number of the association:
- 3. E-mail address of the association:
- 4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:

Part A

- (To be filled by applicant giving intimation regarding Change of name and/ or aims and objects of the association)
 - (i) Amended/ changed name of the association as recorded with local/ relevant authority
 - (ii) Amended/ changed aims and objects of the association as recorded with local/ relevant authority

(self certified copy of amendment approved by local / relevant authority to be enclosed)

Part B

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of address within the same State from which granted registration/ prior permission under FCRA, 2010 Act)

New Address of the association:

Part C

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of designated bank/ branch of the bank/ account number for receipt and utilization of foreign contribution)

Details of the new designated bank account of the association for receipt and utilization of foreign contribution

Name of the Bank	Branch Address	IFSC Code	Account No	
(1)	(2)	(2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	

(self certified copies of letter from the existing bank and the new bank regarding the change to be enclosed)

Part D

(To be filled by applicant giving intimation of opening of Utilisation Bank Account(s) for the purpose of utilization of foreign contribution)

Name of the Bank	Branch Address	IFSC Code	Utilisation Account Number
(1)	(2)	(3)	(4)

Part E

(To be filled by applicant giving intimation regarding change in more than 50% of key members of the association)

Details of all the key members of the association after change in 50 per cent or more of the original key members, as reported in the application for grant of registration/prior permission/renewal of registration of the association under FCRA, 2010:

	Name	Name	Nationality	Aadhaar	Occupation	Designation	Relationship	Contact Details:
		of		Number,		in the	with other	Office Address;
ŀ		father/s		if any		Association	Member(s) of	Residential
		pouse					the Executive	Address; e-mail
							Council /	address;;
1							Governing	Landline no.;
							body / Office	mobile no.
L				West of the Control o			bearers	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(70	(8)

If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof

Name	Date and	Passport	Address in	Whether a	PIO/OCI	If resident in
	Place of	number	the foreign	person of	Card	India, date
	birth		country	Indian	Number,	from which
				origin	if any	residing in
						India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct and

- (a) Change of name and/ or aims and objects; address of the association has been duly recorded with the concerned registering authority
- (b) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes
- (c) The Bank authorities have been duly informed about change in the designated bank account / opening of Utilisation account

(d) None of the key members has been appointed in violation of section 12(4) of Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (strike out whichever is not applicable)

> Signature of the Chief Functionary [Name of the Chief Functionary in block letters] (Seal of the Association)".

> > (File No. II/21022/23(52)/2014-FC-III) (G.K. Dwivedi)

Joint Secretary to the Government of India

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification No. G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended vide notification No. G.S.R. 292(E), dated the 12th April, 2012

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में पकाशनार्थ)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख / 17,12, 2015

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,
 - (i) नियम 9 में, -(क) उपनियम (1) में, -
 - (अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(क) विदेशी अभिदाय की स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या धारा 11 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन प्ररूप एफसी-3 में किया जाएगा।
 - (आ) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

- "(ख) आवेदक, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट, स्कैन किए गए दस्तावेजों सहित हस्ताक्षरित या डिजीटली हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करेगा":
- (इ) खंड (ड.) में, "सादे कागज पर" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिकली ऑन लाइन प्ररूप एफ सी --6 में" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपनियम (2) में, -
 - (अ) खंड (क), (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;
 - (आ) खंड (ड.) में "सादे कागज पर" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन प्ररूप एफ सी-6 में" शब्द रखे जाएंगे;
 - (इ) उपनियम (4) में खंड (घ) में अंत में निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक संदाय गेटवे के माध्यम से":

- (ii) नियम 12 में, -
 - (क) उपनियम (2) में "एफ सी- 5" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी- 3" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
 - (ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;
 - (ग) उपनियम (5) में में अंत में निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऑन लाइन इलैक्ट्रानिक संदाय गेटवे के माध्यम से";

- (iii) नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "13. विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की घोषणा -

- (ख) कोई व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष की तिमाही में विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे उस तिमाही, जिसमें यह प्राप्त हुआ है, के अंतिम दिन के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर दाताओं के ब्यौरे, प्राप्त रकम और प्राप्ति की तारीख स्पष्टतया उपदर्शित करते हुए अपनी शासकीय वैबसाइट या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वैबसाइट पर रखेगा।"
- (iv) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16. विदेशी अभिदाय की प्राप्ति का बैंकों द्वारा रिपोर्ट किया जाना -

बैंक, केंद्रीय सरकार को किसी व्यक्ति, चाहे ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है या नहीं या उसे अधिनियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है या नहीं, द्वारा किसी विदेशी अभिदाय की प्राप्ति या उपयोग के संबंध में किसी संव्यवहार की रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर करेगा।";

- (v) नियम 17 में, -
- (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(1) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, प्रथम अप्रैल को प्रारंभ होने वाले के वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र की स्कैन की गई प्रतियां सहित वित्तीय वर्ष के समापन के नो मास के भीतर हस्ताक्षरित या डिजीटली हस्ताक्षरित रिपोर्ट इलैक्ट्रानिकली ऑन लाइन प्ररुप एफ सी-4 में प्रस्तुत करेगा ।";
- (ख) उपनियम (2) में, -"एफ सी-6" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी-4" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (ग) उपनियम (3) में, -"एफ सी-7" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी- 1" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

- (घ) उपनियम (४) में, -"एफ सी-8" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी-1" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (इ.) उपनियम (6) में, -"एफ सी-7" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी-4" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (च) उपनियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त या उपयोग नहीं किए गए हैं, वहां चार्टर्ड लेखाकार से प्रमाणपत्र या प्ररुप एफ सी-4 के साथ आय और व्यय विवरण या प्राप्ति और संदाय लेखा या तुलन-पत्र संलग्न करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।";

(vi) नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17क. अभिहित बैंक लेखा, नाम, पता, लक्ष्यों, उद्देश्यों या संगम के मुख्य सदस्यों का परिवर्तन-

कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या अधिनियम की धारा 11 के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है निम्नलिखित में किसी परिवर्तन को 15 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन प्ररुप एफ सी-6 में सूचित करेगा, अर्थात् :-

- (i) राज्य के भीतर संगम का नाम और उसका पता जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुजा प्रदान की गई है;
- (ii) इसकी प्रकृति, लक्ष्य और उद्देश्य तथा स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारियों से रजिस्ट्रीकरणं;
- (iii) बैंक और/या बैंक की शाखा और/या अभिहित विदेशी अभिदाय खाता संख्यांक; और
- (iv) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने/रजिस्ट्रीकरण की पूर्व अनुजा/नवीनीकरण के लिए आवेदन में यथारिपोर्टित संगम के मुख्य सदस्य, यदि किसी समय ऐसे परिवर्तन के कारण मूल मुख्य सदस्यों के पचास प्रतिशत या अधिक बदल जाते हैं।";
- (vii) नियम 18 में, "एफ-9" अक्षरों और अंक के स्थान पर, "एफसी-1" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

- (viii) नियम 24 में,--
- (क) उपनियम (1) में "एफसी-10" अक्षरों और अंक के स्थान पर, "एफसी-5" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) उपनियम (4) में "एफसी-6" अक्षरों और अंक के स्थान पर, "एफसी-4" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (ix) प्ररूप एफसी-1 से एफसी-10 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:--

प्ररुप एफ.सी.-।

[नियम 6, 17 और 18 देखे]

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध) एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड नई दिल्ली-110001

विषय: किसी व्यक्ति द्वारा संबंधी से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने/निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा वस्तुओं/प्रतिभूतियों के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21] की सूचना केन्द्रीय सरकार को देना:

महोदय, मैं,..........कम्पनी अधिनियम 1956/कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक व्यक्ति/संगम/कम्पनी के रुप में, एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूँ

हां/नहीं
हां/नहीं
हां/नहीं
हां/नहीं

(किसी संबंधी से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना आवेदक द्वारा भरी जाए)

- 1. प्राप्तकर्ता का पूरा नाम (साफ अक्षरों में):
- 2. जन्म तारीखः
- 3. पिता/पति का नाम:
- 4. प्राप्तकर्ता के सम्पर्क ब्योरे

(क)पताः

- (ख) एस.टी.डी. कोड सहित टेलिफोन नं. और मोबाइल नं. :
- (ग)ई-मेल पता
- 5. भारत में प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन):
- 6. प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की रकम, यदि किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक या उसके समतुल्य है:
- 7. बैंक ड्राफ्ट का नम्बर या टेलीग्राफिक अंतरण या बैंक के ब्योरे सहित अन्य संसूचना:
- 8. संबंधियों के ब्योरे:
- (क) नाम:
- (ख) राष्ट्रीयता
- (ग) जिस देश में रहते है उस देश का नाम
- (घ) ई-मेल पता
- (इ.) पासपोर्ट संख्या
- (च) प्राप्तकर्ता के साथ संबंध

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम साफ अक्षरों में)

भाग ख

(विदेशी अभिदाय (वस्तुएं) खाता/विदेशी अभिदाय (प्रतिभूतियां), खाता के बारे में सूचना देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाए)

- 1. आवेदक के ब्योरे:
 - (i) पूरा नाम
 - (ii) सम्पर्क ब्योरे:
 - (क) पता
 - (ख) कार्यालय का टेलिफोन न. (एस.टी.डी. कोड सहित):
 - (ग) कार्यालय का ई-मेल पता
 - (iii) एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/पूर्वाअनुजा संख्या और तारीख, यदि कोई हो
 - (iv) संगम का पैन (स्थायी खाता संख्या):
- 2. वस्तुओं के ब्योरे

उपयोग/निस्तारण

तारीख	दस्तु का	विवरण	उस	प्रयोजन	मात्रा	अनुमानित	उपयोग/निस्तारण की पद्धति (यदि
mid	नाम		टयक्ति का नाम और पता, जिससे			मूल्य (रु0)	की पद्धति (यदि किसी को निस्तारित की गई है)
			प्राप्त की गई है				(0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रतिभूतियों के ब्योरे 3.

तारीख		उस ट्यक्ति का नाम और पता जिससे प्राप्त की गई है	सांकेतिक मूल्य (रु0)	बाजार मूल्य (रु0)	-11 33.11	उपयोग/निस्तारण की पद्धति (यदि किसी को निस्तारित की गई है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

घोषणा

में एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त ब्योरे सत्य और सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर (आवेदक का नाम, साफ अक्षरों में) कार्यालय की मुहर (निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति (विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21) की सूचना केन्द्रीय सरकार को देने के लिए भरा जाए।)

- 1. पूरा नाम:
- 2. जन्म की तारीख
- 3. पिता/पति का नाम
- 4. सम्पर्क ब्योरे
- 5. (क) पता:
 - (ख) ई-मेल पता
 - (ग) टेलिफोन और मोबाइल न. (एस.टी.डी. कोड सहित)
- 5 6. वह तारीख जिस पर किसी विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में विधिवत रूप से नामित किया गया है और विधानमंडल के ब्योरे: (अधिनियम की धारा 21 देखें)
- 6 7. निर्वाचन के अभ्यर्थी के रूप में विधिवत् रूप से नामित किए जाने की तारीख से ठीक पहले एक सौ अस्सी दिनों के भीतर प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय के ब्योरे

7 8.

नकद/वस्त्/प्रतिभूतियों	मूल्य	प्रयोजन	दानकर्ता	वैयक्तिक	दानकर्ता	उपयोग
के रुप में प्राप्त	रु0)		का नाम	दानकर्ता	के साथ	संबंधी
विदेशी अभिदाय			पता, और	की	संबंध	ब्योरे
			ई- मेल	राष्ट्रीयता		
			पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर (नाम, साफ अक्षरों में)

प्ररुप एफ.सी.-2 [नियम 7(1) देखें]

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध) एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड नई दिल्ली - 110001

विषय: विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन:

[िटप्पण: आकस्मिक चिकित्सा सहायता की दशा में विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए ऐसे विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्ररूप एफ.सी.-2 में दिए गए पते पर सचिव, गृह मंत्रालय को सादे कागज पर सूचना]

- 1. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :
- 2. जन्म की तारीख :
- 3. पिता/पति का नाम :

- 4. सम्पर्क के ब्योरे :
 - (क)पता
 - (ख) एस.टी.डी. कोड सहित टेलिफोन न. और मोबाइल न.
 - (ग)ई-मेल पता
- पासपोर्ट ब्योरे (यदि पहले से ही धारित है):
- 6. प्रास्थिति: (क) विधानमंडल का सदस्य (ख) किसी राजनीतिक दल का पदधारी (ग) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (घ)सरकारी सेवक (ड.) किसी निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निकाय का कर्मचारी
- 7. प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आतिथ्य के ब्योरे

उन शहरों/देशों	ठहरने	यात्रा का	स्वीकार रि	केए जाने	स्वीकार	आतिथ्य	टिप्पणिया
के नाम जिनसे	की	प्रयोजन			किए जाने	पर किया	
आतिथ्य	अवधि		प्रकृति		वाले	जाने वाला	
स्वीकार किया	से/तक		नकद	वस्तु	आतिथ्य	अनुमानित	
जाएगा			रूप में	रुप में	की	ट्यय	
					अवधि	(रु0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

8. मेजबान (नों) के ब्योरे:-

मेजबान की प्रकृति - वैयक्तिक/संगठन	पूरा नाम	राष्ट्रीयता/पासपोर्ट संख्या	वृत्ति	पता	ई-मेल पता	स्थायी लाइन वाला टेलिफोन न. (कोड सहित); मोबाइल न.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9. आतिथ्य प्रस्तुत करने वाले मेजबान और/ या विदेशी स्त्रोत के साथ संपर्क/संबंध की प्रकृति:

10. प्रस्तुत किए जाने वाले आतिथ्य के ब्योरे के संबंध में मेजबान का पत्र और आवेदक जिस संगठन से संबंधित है उनसे प्राप्त अभिशंसा पत्र संलग्न किया जाएगा।

घोषणा

में एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सत्य और सही हैं।

स्थानः

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर (नाम, साफ अक्षरों में)

प्ररुप एफ.सी.-3

[नियम 9 (1 (क) / नियम 12 देखें]

सं
तारीख
सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध)
एन.डी.सी.सी।। भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली-110001

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 11(1) और (2)/ धारा 16 के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले किसी संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु 'रजिस्ट्रीकरण'/'पूर्व अनुज्ञा'/'नवीनीकरण' के लिए आवेदन:

महोदय,

मैं,........................कम्पनी अधिनियम 1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब/संगम/रिजस्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में निम्निलिखित व्योरे प्रस्तुत करता हूँ और विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) / (2) / धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन करता हूँ:

· · · · ·
र्ग/नहीं
ॉ/नहीं
ॉ/नहीं

- 1. आवेदक/संगम के ब्योरे:
- (क) पूरा नाम
- (ख) पताः
- (ग) संगम का टेलिफोन नं. (एस.टी.डी. कोड सहित):
- (घ) संगम का ई-मेल पता
- (इ.) कार्यालय वेबसाइट पता यदि कोई हो:
- (च) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन नं. और मोबाइल नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)
- 2. रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे
- (क) अधिनियम का नाम जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कम्पनी अधिनियम, 1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 आदि जिसके अंतर्गत संगम रजिस्ट्रीकृत है:
- (ख) रिजस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान: (संलग्न किए जाने वाले रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति):
- (ग) संगम का पैन (स्थायी खाता संख्या):
- (घ) एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख (नवीनीकरण के मामले में) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए:
- 3. संगम की प्रकृति:
- (क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षणिक (ड.) सामाजिक नोट: यदि संगम धार्मिक है तो उल्लेख करें कि (क) हिन्दू (ख) सिख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ड.) बौद्ध (च)अन्य मे से क्या है।
- 4. संगम के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य

14

(संगम के उद्देश्य और लक्ष्य दर्शाते हुए संगम के ज्ञापन और/या संगम के अनुच्छेदों के संगत पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करे):

5. संगम के मुख्य कार्यकर्ताओं के ब्योरे:

नाम	-पिता/पति-का- नाम	-राष्ट्रीयता-	आधार नं. यदि कोई हो	टयवसाय	संगम में पदनाम	कार्यकारी परिषद/शासी निकाय/कार्यालय पदधारकों के अन्य सदस्य (यों) के साथ संबंध	संपर्क ब्योरेः कार्यालय पताः आवासीय पताः ई-मेल पताः लैंड लाइन नं. मोबाइल नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(ख) यदि उपर्युक्त में से कोई विदेशी (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. कार्ड धारक सहित) है तो उससे संबंधित ब्योरे

	सर्वाधित ब्योरि							
नाम	जनम की तारीख और स्थान		विदेश में पता	क्या भारतीय मूल के ट्यक्ति है	पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. कार्ड संख्या, यदि कोई हो।	यदि भारत में निवासी है, तो वह तारीख जब से भारत में निवास कर रहे हैं।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		

भुगतान किए गए शुल्क की राशि (रु0):

- 7. क्या संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी, अपने कार्यालय संबंधी कार्यों के निर्वहन में या निजी व्यवहार में:
- (क) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया/गई है:
- (ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:
- (ग) संगठन की निधियों या पूर्व में किसी अन्य संगठन की निधियों का अपयोजन या दुरूपयोग का दोषी पाया गया/गई है:
- (घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया/गई है:

- (इ.) किसी अन्य संगठन का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है:
- (च) किसी ऐसे अन्य संगठन का मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या धारा 14 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है:

टिप्पणः यदि उपयुक्त (क) से (ड.) तक का उत्तर 'हां' में है, तो मामले का पूर्ण विवरण अवश्य दिया जाए।

- 8. क्या आवेदक संगमः
- (क) किसी ऐसे विदेश में आधारित संगठन या अन्य संगम की कोई शाखा/इकाई/सहायक है जिसे अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है। यदि ऐसा है, तो मूल संगठन का नाम पता और रजिस्ट्रेशन न./ पूर्व अनुज्ञा सं. और तारीख प्रस्तुत करें:
- (ख) अधिनियम की धारा 10 को आकर्षित करता है, यदि ऐसा है, तो अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के ब्यौरे दें:
- (ग) अधिनियम की धारा 9(घ) के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश प्राप्त किए हैं। यदि ऐसा है, तो सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख:
- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी अभियोजित किया गया है, तो इससे संबंधित ब्योरे दें:
- 9 (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अभिहित एफ.सी. बैंक खाते का विवरण:

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

9 (ख) विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए सभी व्यवहारी बैंक खातों का विवरण (रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए):

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
	कोड सहित)		
(1)	(2)	(3)	(4)

मंजूरी की संख्या और तारीखः

(ख) तत्संबंधी वार्षिक खाते जमा कराने की तारीख:

(ii) क्या:

(क) संगम ने बिना पूर्व अनुज्ञा के पूर्व में विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि ऐसा है, तो पूरा विवरण प्रदान करें

(ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है / प्रशमन किया गया है, यदि ऐसा है तो संगत आदेश की संख्या और दिनांक:

(ग) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए संगम को प्रतिषिद्ध किया गया है, यदि ऐसा है तो, उसका विवरण।

11. क्या

- (i) संगम ने पहले विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो उसका विवरण:
- (ii) संगम ने पहले विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियम)अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो विवरण:
- (iii) संगम का किसी अन्य एसोसिएशन (नों), अथवा इनकी यूनिट (टों) अथवा शाखाओं से निकट संबंध हैं, जिन्हें,
- (क) रजिस्ट्रीकरण/ पूर्व अनुज्ञा के लिए मना किया गया है:
- (ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है:
- (ग) निलंबित किया गया है अथवा जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है;
- (घ) यदि (क) से (ग) तक उत्तर, हां है तो, कृपया पूरा विवरण दें।
- 12. दाता से विदेशी अभिदाय के लिए वचनबद्धता का विवरणः (केवल पूर्व अनुजा वाले मामलों हेत् लागू);

विदेशी अभिदाय की	मूल्य (मुद्रा के	परियोजना/गतिविधि का	उद्देश्य
	नाम सहित)	नाम, परियोजना और बजट	(सांस्कृतिक/आर्थिक /
		ब्रेक-अप के संक्षिप्त विवरण	शैक्षिक। धार्मिक।
		सहित कार्यान्वयन का पता	सामाजिक
(1)	(2)	(3)	(4)

(दाता से वर्तमान और विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता पत्र की एक प्रति संलग्न की जाए) 13. उन विदेशी स्रोत (तों) का विवरण जिनसे विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है

(केवल पूर्व अन्मति वाले मामलों हेतु लागू):

वस त्व अर्माप वास नाम्सा ६८ सार्थ.						
विदेशी स्रोत का नाम	-		पता;	ट्यक्तिगत दात	ा के मामले मे	
	शासकीय_	\$	मेल			
	पता					
(1)		(2)		(3)		
(1)				पिता /पति/	राष्ट्रीयता और	ट्यवसाय
				पत्नी का	पासपोर्ट	
				नाम	संख्या	

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर [मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में] (संगठन / संगम की मुहर)

घोषणा एवं शपथ

(क) में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है; और में शपथ लेता हूं कि:

(ख) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) / के उपबंधों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी नियमों, अधिसूचनाओं /आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा;

स्थान:

तारीख:

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर [मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में] (संगठन / संगम की मुहर) नोट: रजिस्ट्रीकरण करवाने वाले आवेदक को संगम की पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित विवरणी और गतिविधि रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी।

प्ररूप एफ.सी-4 [नियम 17 देखें]

सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध), एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड (जन्तर मंतर के सामने) नई दिल्ली -110001

विषय: 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष हेतु विदेशी अभिदाय का लेखा।

- 1. एफ.सी.आर.ए रजिस्ट्रीकरण / पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख:
- विदेशी अभिदाय प्राप्ति और उपयोग का विवरण:

(i) नकद / वस्तुरूप में प्राप्त विदेशी अभिदाय (मूल्य)

J	
(क)वर्ष के आरंभ में अग्रानीत विदेशी अधि	भेदाय (रू0)
(ख) वर्ष के दौरान ब्याज अथवा अ	न्य प्राप्ति
(ग) वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अधि	मेदाय -
(i) किसी विदेशी स्रोत से सीधे ही प्राप	न्त
(ii) स्थानीय स्रोत अंतरण के रूप में	
(घ) कुल विदेशी अभिदाय (क+ख+ग) (रू0)
	(ख) वर्ष के दौरान ब्याज अथवा अ (ग) वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अधि (i) किसी विदेशी स्रोत से सीधे ही प्राप् (ii) स्थानीय स्रोत अंतरण के रूप में

- * अर्थात् विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज, अथवा विदेशी अभिदाय से प्राप्त अन्य आय, उदाहरणतः विदेशी अभिदाय से व्युत्पन्न बिक्री संबंधी आय, वर्ष के दौरान उस पर ब्याज
- (ii) (क) रु० 20,000/- से अधिक प्राप्त विदेशी अभिदाय का दातावार विवरण:

क्र0 सं0	दाता(ओं) का नाम	संस्थागत / व्यक्तिगत	दाता का विवरणः शासकीय पताः; ई - मेल पताः; वेबसाइट का पता	किस प्रयोजन (यों) के लिए प्राप्त किया गया	राशि (रु0)
1	2	3	4	5	6

- (ख) प्राप्त सभी विदेशी अभिदाय अनुदानों की संचयी प्रयोजन-वार राशि:
- (iii) विदेशी अभिदाय के उपयोग का विवरण

_

** अभिपुष्टि की जाती है कि विदेशी अभिदाय के उपयोग से एफ.सी.आर.ए, 2010 में उल्लिखित उपबंधों और विशेषकर अधिनियम की धारा 9 और धारा 12 में उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन नहीं हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से

- (क) भारत की सम्प्रभुता और एकता पर ; अथवा
- (ख) देश की सुरक्षा, कूटनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों पर; अथवा
- (ग) लोकहित; अथवा
- (घ) किसी विधान सभा के चुनाव की स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता; अथवा
- (ङ) किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मित्रवत संबंधों; अथवा
- (च) धार्मिकता, जातीय, सामाजिक, भाषायी अथवा क्षेत्रीय समूहों, वर्णों अथवा समुदायों

पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

- (iv) वर्ष के अन्त में नकद/बैंक में शेष अप्रयुक्त विदेशी अभिदाय (रू0)
- (v) कुल विदेशी कार्मिकों की सं0 (वेतनभोगी/अवैतनिक क्षमता में);

3 (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अभिहित एफ सी बैंक खाते का विवरण (समाप्त हो रहे वर्ष के 31 मार्च तक)

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड के साथ)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए व्यवहारी सभी बैंक खातों का विवरण (समाप्त हो रहे वर्ष के 31 मार्च तक)

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड के साथ)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

घोषणा

में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरा द्वारा प्रदान किए गए उर्पयुक्त विवरण सत्य तथा सही हैं।

मैं यह पृष्टि करता हूं कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010, नियमों, के उपबंधों और समय-समय पर इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं / आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है और विदेशी अभिदाय उस प्रयोजन (नों) के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संगम को रजिस्ट्रीकरण / पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

स्थान:

तारीख:

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर [मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में] (संगम की मुहर)

चार्टर्ड लेखाकार द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

मैंने/हमने, (संगम का नाम और उसका पूरा पता	जिसमें
राज्य, जिला और पिन कोड़, यदि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है तो उसका रजिस्ट्रीकरण	संख्या,
रजिस्ट्रीकरण के राज्य का उल्लेख हो) के 31 मार्च को समाप्त	वर्ष के
लिए खातों की लेखा परीक्षा की है और सभी संगत पुस्तिकाओं और वाउचरों की जांच की	है तथा
लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुसार यह प्रमाणित करता हूं कि	

- (i) वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिभूतियों के रूप में आगे लाया गया निवेश ----- रुपये था;
- (ii) संगम ने वित्त वर्ष ------ रुपये का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया था।
- (iii) संगम द्वारा वित्तीय वर्ष ------ के दौरान विदेशी अभिदाय पर प्राप्त ब्याज और विदेशी अभिदाय अथवा उस पर ------ रु० का ब्याज प्राप्त किया गया था।
- (iv) संगम के पास वित्त वर्ष ----- की समाप्ति पर अनप्रयुक्त शेष विदेशी अभिदाय -
- (v) प्रमाणित किया जाता है कि संगम ने विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित रिकार्डों का विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियमावली 2011 के नियम 17 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 19 में निर्धारित अनुरक्षण किया है।
- (vi) इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुलनपत्र में प्रदान कराई गई जानकारी और प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण सही है क्योंकि उसकी मैंने/हमने जांच कर ली है।
- (vii) संगम ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण / प्रदान की गई पूर्व अनुज्ञा के उद्देश्य (यों) हेतु प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग किया है।

स्थान:

दिनांक:

(चार्टर्ड लेखाकार के हस्ताक्षर) (मुहर, पता एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या)

प्ररूप एफ सी - 5 (नियम 24 (1) देखें)

सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध), एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड (जन्तर मंतर के सामने) नई दिल्ली -110001

विषय: विदेशी अभिदाय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत / गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने का आवेदन

महोदय, मैं ------ , संगम की ओर से, विदेशी अभिदाय निम्नलिखित विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 7 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूं:

- 1. आवेदक/ अन्तरक संगम का एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/ पूर्व अनुज्ञा सं0 और तारीख
- 2. प्राप्तकर्ता / अंतरिती संगम का विवरण:
 - (i) पूरा नाम:
 - (ii) संपर्क विवरण
 - (क) पताः
 - (ख) संगम का शासकीय दूरभाष सं0 (एस टी डी कोड सहित):
 - (ग) शासकीय ई मेल पता:-
 - (घ) मुख्य कार्यकारी का दूरभाष सं0 (एस टी डी कोड सहित) मोबाइल संख्या
- (iii) संगम का पैन नं0 (स्थाई खाता संख्या)
 - 3. प्राप्तकर्ता/अंतरिती संगम के रजिस्ट्रीकरण का विवरण:

- (क) ऐसे अधिनियम जैसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, इंडियन ट्रस्ट अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 आदि का नाम जिसके अन्तर्गत संगम रजिस्ट्रीकृत है:
- (ख) पंजीकरण सं0, तारीख और रजिस्ट्रीकरण का स्थान:
 (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
- 4. अंतरित किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की राशि:
- 5. प्रस्तावित विदेशी अभिदाय के अन्तरण का प्रयोजन
- 6. प्राप्तकर्ता के बैंक का विवरण और खोला गया विशिष्ट नामोद्दिष्ट एफ.सी.आर.ए खाता जिसमें एफ.सी. अंतरित किया जाना प्रस्तावित है:

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उर्पयुक्त जानकारी सत्य और सही है।

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर [मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में] (संगम की मुहर)

टिप्पण:

- (i) प्रत्येक आवेदन के साथ अन्तरक संगम की तरफ से इस बारे में एक घोषणा संलग्न होनी चाहिए कि-
 - (क)वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित अन्तरण हेतु राशि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से कम है;
 - (ख) अंतरक विदेशी अभिदाय की कोई भी राशि का तब तक अन्तरण नहीं करेगा जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्तरण का अनुमोदन नहीं कर दे।

(ii) अंतरक भौर प्राप्तकर्ता दोनों अन्तरित विदेशी अभिदाय का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा यह अन्तरण अंतरक और प्राप्तकर्ता द्वारा जमा किए जाने वाले विवरण फार्म एफ सी-4 में दर्शाया जाएगा।

प्ररुप एफ.सी. 6 [नियम 9 और 17क देखें]

सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध), एन.डी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण / पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई संगम के संबंध में अभिहित बैंक खाता, व्यवहारी खाता, नाम/पता/लक्ष्यों/उद्देश्यों / मुख्य सदस्यों के परिवर्तन के बारे में केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2010(2010 का 42) के नियम 9 और नियम 17क के अन्तर्गत सूचना:

	1			
H	5	G	य	Ι,

	ਸੇਂ	ट्यक्ति / संगम / कंपनी के रूप में
विदेशी	अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम	17क के अन्तर्गत यथा अपेक्षित
एतदद	वारा निम्नलिखत सूचना देता हूं:	

संगम के नाम और / अथवा लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन	हां/नहीं	
उक्त अधिनियम के अधीन जिस हेतु रजिस्ट्रीकरण /पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है	हां/नहीं	
उस राज्य के अन्दर ही पते में परिवर्तन		ĺ

विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग हेतु अभिहित बैंक/शाखा/बैंक	हां/नहीं
खाता सं. में परिवर्तन	
विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए उपयोग बैंक खाते	हां/नहीं
खोलना	
संगम के 50% से अधिक मुख्य सदस्यों का परिवर्तन	हां/नहीं

- 1. एसोसिएशन का एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा सं. और तारीख:
- 2. एसोसिऐशन का कार्यालय टेलीफोन न.
- 3. एसोसिएंशन का ई-मेल पता:
- 4. एसोसिऐशन के मुख्य कार्यकर्ता का टेलीफोन/मोबाइल सं.

भाग क

(संगम के नाम और/या लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाना)

- (i) स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी के पास रखे अभिलेख के अनुसार संगम का संशोधित/परिवर्तित नाम
- (ii) स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी के पास रखे अभिलेख के अनुसार संगम के संशोधित/परिवर्तित लक्ष्य और उद्देश्य

(स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधन की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाती है)

भाग-ख

(एफ.सी.आर.ए., 2010 अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने वाले राज्य के भीतर पता बदलने के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाना)

संगम का नया पता:

भाग-ग

(विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग हेतु अभिहित बैंक/बैंक की शाखा/लेखा सं. बदलने के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाना)

विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के लिए संगम के नए अभिहित बैंक खाते का विवरण

बैंक का नाम	शाखा पता	आई.एफ.एस.सी. कार्ड	लेखा सं.
(1)	(2)	(3)	(4)

(परिवर्तन के संबंध में वर्तमान बैंक और नए बैंक से पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिया संलग्न की जानी है)

भाग-घ

(विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए उपयोग बैंक लेखा (लेखे) खुलवाने की सूचना देने हेतु आवेदक द्वारा भरा जाना

बैंक का नाम	शाखा पता	आईएफ.एस.सी. कोड	उपयोग लेखा सं
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग-ड.

(संगम के 50% से अधिक मुख्य सदस्यों में परिवर्तन के संबंध में जानकारी देने हेतु आवेदक द्वारा भरा जाना)

एफ.सी.आर.ए., 2010 के अंतर्गत संगम के रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा/पंजीकरण का नवीकरण प्रदान करने हेतु आवेदन में बताए गए अनुसार मूल मुख्य सदस्यों के 50% या अधिक में परिवर्तन के उपरान्त संगम के सभी मुख्य सदस्यों का विवरण:

संपर्क कार्यकारी राष्ट्रीयता आधार सं. पेशा में संगम पिता/पिता नाम परिषद/शासी विवरण; यदि कोई पदनाम का नाम कार्यालय निकाय के हो पताः निवास अन्य पता; ई-मेल सदस्यों/पद पता; धारियों के लाइन नं. साथ संबंध (8)(7)(5)(4)(3)(2)(1)

यदि उपरोक्त में से कोई विदेशी है (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. कार्ड धारक सहित), तो उसका

नाम	जन्म की	पासपोर्ट	विदेश में	क्य	पी.ओ.आई./ओ.सी.आई	याद भारत
	तारीख और	सं.	पता	भारतीय	कार्ड सं. यदि कोई हो	का
	स्थान			मूल का		निवासी है,
	स्याण			्यक्ति व्यक्ति		तो वह
						तारीख
						जब से
						भारत में
						निवास
						कर रहा
						है।
/1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(0)	\'''			

में एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य और ठीक है और (क)नाम और/या लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन; संगम के पते का उचित रूप से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास रिकार्ड रखा गया है।

(ख) परिवर्तन करने से पहले शासी निकास का संकल्प पारित किया गया था। (ग) बैंक प्राधिकारियों को नामित बैंक लेखे में परिवर्तन उपयोग लेखा खोलने के बारे में उचित रुप से सूचना दी गई है। (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12(4) के उल्लंघन में कोई भी मुख्य सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

> मुख्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकर्ता का नाम मोटे अक्षरों में) (संगम की म्हर)"

(फाइल सं. II/21022/23(52)/2014-एफ.सी.-II) (जी.के. द्विवेदी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पण: मूल नियम तारीख 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 349(अ), के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद 12 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 292(अ), के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।